2011

प्र०-1- प्राइवेट प्रतिरक्षा एवं आत्मरक्षा में अंतर कीजिए ! प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में मृत्यु कारीत का होता है?

कोई बात अपराध नहीं है, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है।

टिप्पणी

रसेल के अनुसार, "एक व्यक्ति अपने शरीर, आवास एवं सम्पत्ति की बलपूर्वक उस व्यक्ति से प्रतिरक्षा करने में न्यायसंगत है जो जानबूझकर ऐसा सोचता है तथा उत्पात एवं विस्मय द्वारा इसमें से किसी एक के विरुद्ध अपराध कारित करता है।" इन मामलों में वह पीछे हटने के लिये बाध्य नहीं है, अपितु वह तब तक अपने शत्रु का पीछा कर सकता है जब तक अपने को सुरक्षित नहीं पाता और यदि संघर्ष में वह अपने शत्रु को मार डालता है तो उसका कार्य न्यायोचित समझा जायेगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रत्येक विधि प्रणाली में मान्यता प्रदान की गई है। आत्म-प्रतिरक्षा की सम्पूर्ण विधि निम्नलिखित चार अवधारणाओं पर आधारित है-

(1) समाज व्यक्तियों की प्रतिरक्षा का वचन देता है और अधिकतर मामलों में प्राइवेट व्यक्तियों के शरीर एवं सम्पत्ति पर हुये अवैध आक्रमण से प्रतिरक्षा करने में समर्थ भी होता है।

(2) जहाँ समाज की सहायता नहीं प्राप्त हो सकती है वहीं व्यक्तिगत रूप से अपनी सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कार्यवाहियों की जा सकती हैं।

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की दो महत्वपूर्ण सीमायें हैं। प्रथम यह कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी भी ऐसे कार्य को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता जो निश्चित रूप से प्रतिरक्षा नहीं

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

है अपितु एक अपराध है। द्वितीय यह कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग उस समय नहीं किया जा सकता जब इसकी माँग करने वाला स्वयं आक्रमण करता है।

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सकारात्मक तथ्यों पर आधारित होना चाहिये। यह केवल अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकती। प्राइवेट प्रतिरक्षा के तर्क का मूल्यांकन करते समय अभियुक्त को लगी चोटें मात्र एक परिस्थिति है जिस पर विचार किया जाना चाहिये।

शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार ,पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए ,हमलावर की स्वेच्छया स्वयं मृत्यु कारित कार्य करने या कोई अन्य उपहानी कारित कार्य करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतिस्मनपश्चात प्रगणित भांतियो में से किसी भी भांति का है अर्थात-

पहला - ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम म्रत्यु होगा;

दूसरा - ऐसा हमला जिससे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कार्य हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहती होगा;

तीसरा- बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला;

पांचवा - व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला;

छटा- इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में किया जाए पर जिनसे उसे युक्ति युक्त रूप से आई हुई आशंका कार्यरत हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारी यों की सहायता प्राप्ति नहीं कर सकेगा।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

टिप्पणी

विधि एक व्यक्ति को जिसको यह युक्ति युक्त आशंका है कि उसका जीवन खतरे में है या उसके शरीर पर कोई हमला की संभावना है यह अधिकार देती है कि वह अपने हत्यारे को जबकि उसके ऊपर हमला किया जा रहा है या होने वाला है मृत्यु कार्य कारित कर दे किंतु आशंका युक्तियुक्त होनी चाहिए मात्र काल्पनिक नहीं।

रामा बनाम **राज्य 1978 कि० लो० ज ० 1843** के बाद में मृतक तथा अभियुक्त भाई थे। मृतक बलशाली था और अभियुक्त को परेशान किया करता था। घटना की रात को मृतक ने उसे बुरी तरह पीटा तथा जमीन पर पटक दिया और यह कहते हुए कि उसे मार डालेगा उसका गला दबा दिया जिससे अभियोक्ता का दम घुटने लगा यह विश्वास करके ही कि मृतक सचमुच उसे मार डालेगा, अभियुक्त ने एक हथोड़ा उठाया, जो वहीं जमीन पर पड़ा था, और हथौड़े से अभियुक्त के सिर पर प्रहार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह भी निर्णय हुआ कि अभियुक्त ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा को पार नहीं किया था, क्योंकि जिन परिस्थितियों में हाथापाई के दौरान था उनमें उसके लिए यह निर्धारित करना असंभव था कि हथौड़े से कितनी शक्ति लगाकर मृतक पर प्रहार किया जाना चाहिए।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

2012

प्र०-2 सामान्य आशय से आप क्या समझते हैं ? इसे केसे साबित किया जा सकता है? समझाइए!

जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।

टिप्पणी

संयुक्त दायित्व का सिद्धान्त (Principle of Joint Liability)-भारतीय दण्ड संहिता में कुछ ऐसे, उपबन्ध हैं जो एक ऐसे व्यक्ति के दायित्व को निर्धारित करते हैं जो दूसरे अन्य लोगों के साथ मिलकर कोई अपराध करता है। ऐसे सभी उपबन्धों में संयुक्त दायित्व सृजित किया जाता है, क्योंकि इसमें या तो आशय या तो उस वर्ग में सम्मिलित सभी व्यक्तियों का उद्देश्य सामान्य होता है। भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक दायित्व का विनिश्चय इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपराध से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। सामान्य रूप में एक व्यक्ति किसी अपराध से निम्नलिखित रूप से सम्बन्धित हो सकता है-

(1) जब वह स्वयं अपराध करता है।

(2) जब वह अपराध घटित होने में भाग लेता है।

(3) जब वह अपराध कारित करने के उद्देश्य से किसी तीसरे पक्ष को प्रेरित करता है अर्थात् वह
अपराध स्वयं न करके किसी तीसरे पक्ष द्वारा करवाता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(4) जब वह अपराध घटित होने के पश्चात् अभियुक्त को न्याय से छुपाने का प्रयास करता है।

इनमें से तीसरी और चौथी श्रेणी दुष्प्रेरण विधि से सम्बन्धित है। यहाँ पर हम केवल श्रेणी नम्बर दो के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि वह संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त से सम्बन्धित है। स्वयं अपराधी के द्वारा किये गये कार्य प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे मामले में दायित्व निर्धारित करने में कोई परेशानी नहीं होती। परन्तु जहाँ अपराध छोटे तथा बड़े अनेक कृत्यों द्वारा पूरा होता है तथा अपराध किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु एक वर्ग द्वारा किया जाता है ।

सामान्य आशय का आरोप साबित करने के लिये अभियोजन को साक्ष्य से चाहे प्रत्यक्ष हो या पारिस्थितिक यह सिद्ध करना होता है कि अभियुक्तों के बीच उस अपराध को कारित करने के लिये सामान्य आशय या मानसिक मिलन था, चाहे वह पूर्व विचारित हो या मौके पर तत्काल उत्पन्न हुआ हो, जिसके लिये उन्हें धारा 34 के अधीन आरोपित किया गया था, किन्तु यह आवश्यक रूप से अपराध कारित किये जाने से पूर्व होना चाहिये। धारा 34 को लागू करने के लिये किसी अपराध में सहभागियों में सामान्य आशय विद्यमान होना आवश्यक तत्व है।धारा 34 के उपबंधों के अधीन दायित्व सामान्य आशय के विद्यमान होने में ही पाया जा सकता है, जिससे संप्रेरित होकर अभियुक्त ऐसे सामान्य आशय को पूर्ण करने के लिये आपराधिक कृत्य करता है

सामान्य आशय को अग्रसर करते हुये कृत्य करने वाले सदस्यों के दल में प्रत्येक सदस्य द्वारा कारित कृत्य को सुभिन्न करना कठिन हो या यह साबित करना कठिन हो कि उनमें से प्रत्येक द्वारा क्या भूमिका निभाई गई। धारा 34 वहाँ भी लागू होती है, जहाँ किसी विशिष्ट अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई क्षति कारित नहीं की गई है।

सामान्य आशय (Common Intention)- "सामान्य आशय" को बहुत से अर्थ प्रदान किये गए हैं -

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

(1) इसमें पूर्व-निर्धारित योजना अन्तर्निहित है, विचारों का पूर्व मिलन, सभी व्यक्तियों, जो एक गुट को निर्मित करते हैं, के बीच पूर्व विचार-विमर्श।

(2) सामान्य आशय का अर्थ है, परिणाम की कल्पना किये बिना एक आपराधिक कृत्य कारित करने की इच्छा

(3) सामान्य आशय का अर्थ है, घटित अपराध को निर्मित करने हेतु आवश्यक दुराशय।

(4) इसका तात्पर्य कोई आपराधिक कृत्य कारित करने के आशय से भी है परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वही अपराध जो घटित हुआ है।

(5) कुछ लोगों के अनुसार सामान्य आशय को ऐसा अर्थ नहीं प्रदान किया जा सकता जिसे हम हर जगह लागू कर सकें। अत: इसका वास्तविक अर्थ हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

case अनिल शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य 2005 कि०लो०ज० 2587 सु ० कोर्ट

झारखण्ड राज्य वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 34 के उपबंधों के अधीन दायित्व का सार सामान्य आशय विद्यमान होने के तत्व पर निर्भर करता है और अभियुक्त को उस सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिये कोई आपराधिक कृत्य करने को प्रेरित करना है। धारा 34 में निहित सिद्धान्त को लागू करने के परिणामस्वरूप जब किसी अभियुक्त को धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन सिद्ध दोष किया जाता है तो विधि में इसका यह अभिप्राय है कि अभियुक्त की मृत्यु कारित करने के लिये वह उसी रीति से दायी है मानों वह एकमात्र उसी के द्वारा कारित की गई है। यह उपबंध उन मामलों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये अधिनियमित किये गये हैं, जिनमें सामान्य आशय वाली पार्टी के सदस्यों द्वारा किये गये कृत्य में व्यक्तिगत दायित्व को अलग करना कठिन हो या जहाँ प्रत्येक सदस्य द्वारा क्या भूमिका अदा की गई थी, यह पता करना कठिन हो।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

धारा 34 लागू करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त द्वारा कोई वाह्य कृत्य किया गया दर्शित किया जाय।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

2013

प्र०-3 भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्नलिखित के सम्बन्ध में क्या नियम है

(i) पागल व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध

(ii) पागल व्यक्ति द्वारा नशे कि हालत में किया गया अपराध

(iii) बालक द्वारा किया गया अपराध

(अ) उसकी उम्र 7 वर्ष से कम है ।

(ब) उसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक परन्तु 12 वर्ष से कम है ;

कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है।

टिप्पणी

शैशव में समझ की कमी होती है। अत: चाहे कुछ भी हो शैशव की उम्र में आपराधिक अभियोजन द्वारा शिशुओं को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये। विधिक सन्दर्भ में सात साल से कम उम्र के बच्चे एवं शिशुओं की श्रेणी में रखा गया था और वे रोमन तथा English विधियों के अन्तर्गत दण्ड से उन्मुक्त थे। वे अच्छाई और बुराई के बीच विभेद करने में स्वभावतः असमर्थ होते हैं। "अपराध करने में अक्षम" (doli incapax) की संज्ञा दी जाती थी किन्तु न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचता था कि वह "अपराध करने में सक्षम" (doli capax) था तथा अच्छाई और बुराई में विभेद कर सकता था तो उसे सजा में दण्डित किया जा सकता था।

भारत में 7 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को 'अपराध करने में अक्षम' (doli incapax) कहा जाता है,

अतः उन्हें किसी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस आयु का साक्ष्य मात्र ही इस बात का अन्तिम प्रमाण होगा कि शिशु निर्दोष है तथा उसके खिलाफ लगाये गये किसी आरोप का वह स्वतः एक प्रमाण होगा।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

कोई बात अपराध नहीं है, जो सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परीवक्व नहीं हुई है , कि उस अवसर पर अपने आचरण कि प्रकृति और परिणामो का निर्णय कर सके।

अवयव-धारा के निमलिखित अवयव हैं-

(1) सात वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के एक बच्चे द्वारा किया गया एक कार्य।

(2) शिशु ने अपने आचरण की प्रकृति तथा परिणाम को समझने के लिये पर्याप्त क्षमता न अर्जित कर ली हो ।

(3) अक्षमता कार्य सम्पादित होते समय अस्तित्व में हो।

धारा 83 सीमित उन्मुक्ति के मामलों से सम्बन्धित है क्योंकि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु से अपेक्षा की जाती है कि वह समझने की क्षमता रखता होगा तथा अपराध कारित करने को सामर्थ्य प्राप्त कर चुका होगा। किन्तु यह अवधारणा खण्डनीय है और इसको खण्डित करने का दायित्व प्रतिवादी पर होता है।

उदाहरण- उल्ला महापात्र के वाद में अभियुक्त जो 11 वर्ष से अधिक तथा 12 से कम आयु का था, ने एक चाकू उठाकर मृतक को टुकड़े-टुकड़े में काट देने की धमकी देने लगा तथा यथार्थतः उसने उसकी हत्या भी कर दी। यह निर्णय हुआ कि अभियुक्त के कार्य से केवल एक निर्णय निकाला जा सकता है और वह यह कि उसने वही किया जो वह करना चाहता था तथा पूरी घटना के दौरान उसे यह ज्ञात था कि चाक का मात्र एक ही प्रहार उसके आशय की पूर्ति कर देगा। अतः उसे सुधार गृह में 5 वर्ष के लिये भेज दिया गया।

9 वर्ष के एक बच्चे ने 2 रुपये आठ आने कीमत वाले एक हार को चुराकर अभियुक्त के हाथ पांच आने में बेच दिया। परीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से पता चला

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

कि बच्चे ने अपने कार्य की प्रकृति तथा परिणामों को समझने की पर्याप्त प्रौढ़ता अर्जित कर ली थी। अतः यह चोरी के आरोप का दोषी ठहराया गया।

विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य- कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है, वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है।

साधारण सिद्धान्त- एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिये दोषी ठहराने हेतु सामान्यतया एक आपराधिक आशय आवश्यक है। अत: व्यक्ति के आपराधिक दायित्व के विनिश्चय हेतु यह देखना आवश्यक है कि क्या अपराधकर्ता आपराधिक आशय को सृजित करने के लिये सामर्थ्यवान था। आपराधिक आशय को निर्मित करने हेतु एक व्यक्ति में पर्याप्त मानसिक क्षमता का अभाव अपरिपक्व आयु या मस्तिष्कीय दोष के सकता है। जब ऐसा दोष किसी मस्तिष्कीय रोग के कारण व्युत्पन्न होता है तो एक व्यक्ति विकृत चित्त का कहा जाता है। अत: वे व्यक्ति जो स्वाभाविक अयोग्यता के अन्तर्गत अच्छाई और बुराई में विभेद नहीं कर सकते जैसे शिशु, विक्षिप्त या उन्मत्त, वे किसी भी प्रकार के आपराधिक अभियोजन द्वारा दण्डनीय नहीं हैं।

अव्यव् - धरा 84 के निम्नलिखित अवयव हैं -

(1) कार्य एक अस्वस्थ मष्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।

(2) ऐसा व्यक्ति

(क) कार्य कि प्रकृति, या

(ख) यह कि कार्य विधिविरुद्ध था, या

(ग) यह कि कार्य-दोष पूर्ण था,

मदिरापान द्वारा व्युत्पन्न पागलपन-मदिरापान क्षम्य नहीं है, किन्तु मदिरापान से व्युत्पन्न मदहोशी जो इस अवस्था तक उन्माद उत्पन्न करे कि व्यक्ति उचित एवं

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

अनुचित के मध्य भेद करने में असमर्थ हो जाय, आपराधिक दायित्व का एक आधार है।अभ्यासजनित मदिरापान से उत्पन्न पागलपन, चाहे वह स्थायी हो.
अथवा विच्छिन्न वह किसी भी अन्य कारण से उत्पन्न पागलपन के समतुल्य है तथा कृत्य दायित्व से मुक्त है-

कार्य करने के समय-अपराध को निर्मित करने वाले कार्य को करते समय पागलपन के अस्तित्व को सिद्ध करना आवश्यक है1 विचारण के समय पागलपन का अभिवचन अभियुक्त की किसी भी प्रकार सहायता नहीं करेगा। यदि अपराध कारित करते समय कोई व्यक्ति इस प्रकार के तर्क विकार से पीड़ित पाया जाता है कि वह अपने द्वारा किये गये कार्य की प्रकृति को नहीं समझता था और यदि वह जानता था, तो यह नहीं जानता था।

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

Pgs National College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.